

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/

/2018/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	श्रीमती शीतल वैष्णव	17.02.16	18.02.16	02	असाधारण अवकाश
2	श्री पीयूष सुथार	21.11.16	27.11.16	07	असाधारण अवकाश
3	श्रीमती मंजूला निनामा	02.11.16 22.11.16	04.11.16 23.11.16	03 02	असाधारण अवकाश
4	सुश्री सुनीता डामोर	01.12.16 29.12.17	03.12.16	03 01	असाधारण अवकाश
5	सुश्री निधिनम्रता सिंह	28.12.16 27.12.17	31.12.16 30.12.17	04 04	असाधारण अवकाश
6	सुश्री लता मोरवाल	06.04.16	11.04.16	06	असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसार एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 9.7.18

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/

/2018/ 937

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारों ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर